न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 142/2019 (**RCMS : 2019/ 000261**) **अनवान 1. मनकीत कौर पत्नी शेर सिंह 2. बलविन्द्र सिंह पुत्र शेर सिह 3. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र शेर सिंह** जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 01, लखूवाली मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.) **बनाम 1. नरेन्द्र सिंह** पुत्र जगदेव सिंह **2. गुरमीत सिंह** पुत्र जगदेव सिंह **3. राजेन्द्र सिह** पुत्र जगदेव सिंह जातियान जटसिख निवासी चक 7 एसजीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **4. स्टेट ऑफ राजस्थान**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.08.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री लखविन्द्र सिंह संधू उपस्थित नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 55/2018 अनुवानी नरेन्द्र सिंह वगै. बनाम श्रीमती मलकीत कौर वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसे खारिज किया जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 55/2018 अनुवानी नरेन्द्र सिंह वगै. बनाम मलकीत कौर वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है और नवपदस्थापित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:40 IST
Reason: SelfAttested